नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तारीख में जारी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 04/2024 (जीसीएमएस सं.–2024/66) दायर दिनांक 20.06.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर
——आवेदक

बनाम

श्री सुरेश कुमार पुत्र मघाराम (विक्रेता एवं मालिक) मै0 राजपुरोहित स्वीट्स वार्ड न. 04 बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
——अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांकः–04/09/2025

1. यह परिवाद आवेदक श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पेश कर निवेदन किया है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नमूना संग्रहण के दिवस गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या एफ 5(1) चिस्वा/ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व वर्तमान में क्रमांक– प. 5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/2023/10018 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक– आयुक्ता०/ खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनाक 26.12.2022 है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.11.2023 को समय शाम 03.00 बजे को मैसर्स राजपुरोहित स्वीट्स, वार्ड न.04, बाबा रामदेव मन्दिर रोड़, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचा मौके श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मघाराम (विक्रेता व मालिक) को अपना परिचय दे कर संस्थान में गत्ता के कुल 50 डिब्बों में रखे खाद्य पदार्थ मावा मिठाई के बारे मे जानकारी चाही इस पर स्वंय को विक्रेता व मालिक बताया तथा संस्थान में रखे 50 गत्ता के डिब्बों में 225 किलो खाद्य पदार्थ मावा मिठाई आमजन में बेचान वास्ते होना बताया मुझे इसी खाद्य पदार्थ मावा मिठाई में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जॉच वास्ते खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मघाराम (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मघाराम (विक्रेता व मालिक) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ मावा मिठाई 50 गत्ता डिब्बों में से एक डिब्बा जिसमें 4.5 किलों मावा मिठाई में से 2 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हरताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा मिठाई को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2099 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न. के–2099 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मघाराम (विक्रेता व मालिक) एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई [illegible] नमूना [illegible]ल किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 [illegible] प्रति के आउटर कवर में [illegible] में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की [illegible] निर्णयन आवेदन के [illegible]लग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक कमांक/एफएसएसए/2023/1640–41 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार खाद्य कारोबार कर्ता एवं विक्रेता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नमूना अनसेफ फूड होना पाया गया व इसी पत्रांक द्वारा खाद्य श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मधाराम (विक्रेता व मालिक) को भी जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच कर आवेदन फार्म 8 में रिपार्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मधाराम (विक्रेता व मालिक) ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जॉच रिपोर्ट गय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। यह है कि खाद्य कारोबारकर्ता फार्म 8 आवेदन करने पर नमुना जांच हेतु रेफरल फूड लैब मैसूर को श्रीमान अभिहीत अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाया गया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक क्रमांक/एफएसएसए/2024/303–304 दिनांक 24.04.2024 द्वारा रेफरल फूड लैब पूणे की जांच रिपोर्ट में नमुना के–2099 सबस्टैण्डर्ड फूड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र कमांक एफएसएसए/ 2024/334–35 दिनांक 29.04.2024 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मधाराम (विक्रेता व मालिक), मैसर्स राजपुरोहित स्वीट्स, वार्ड न.04, बाबा रामदेव मन्दिर रोड, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर व निवासी गांव सवाईसांवल, जिला–चुरू हाल वार्ड नं.04, बाबा रामदेव मन्दिर के पास, सूरतगढ ने खाद्य पदार्थ माया मिठाई सब–स्टैण्डर्ड फूड का विक्रय करके FSSA एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 में निर्धारित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात् विक्रेता व मालिक एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–31एकी श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे विक्रेता को नियमानुसार आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें। ताकि जनहित में अमानक स्तर (सबस्टैण्डर्ड फूड) के खाद्य पदार्थों का विक्रय रोका जा सके।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र मधाराम बावजूद पर्याप्त सूचना के आज दिनांक तक हाजिर नही आये।

4. पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। निदेशक, रेफरल खाद्य प्रयोगशाला, पूणे रिपोर्ट क्रमांक RFL/P/DO-71/24/150/2024 दिनांक 20.02.2024 में उक्त खाद्य पदार्थ मावा मिठाई का नमूना के–2099 Sub Standard food होना पाया गया है। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अभियुक्त द्वारा Sub Standard food का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है। अतः प्रकरण मे लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित मे मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मधाराम (विक्रेता व मालिक) मै0 राजपुरोहित स्वीट्स वार्ड न. 4 बाबा रामदेव मन्दिर रोड सूरतगढ को राशि 2,00,000 रूपये (दो लाख) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:23:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner